बिहार में ग्राम्य-गृह-निर्माण योजना

1575. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी "आवास योजना" के अन्तर्गत बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई गृह-निर्माण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना कितने गांवों में क्रियान्वित की जायेगी;

(ग) क्या यह योजना किसी राज्य में लागू की गई है और यदि हां, तो अब तक नये मकान कितने गांवों में बन चुके हैं और उनकी संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार केवल मकानों के निर्माण के लिये ही ऋण देती है अथवा निःशुल्क मकान बनाने की भी कोई योजना है; और

(ङ) क्या कृषि मजदूरों के लिये कोई गृह-निर्माण योजना है और यदि हां, तो अब तक ऐसे मकान कितने गांवों में बनाये गये हैं और उनकी संख्या कितनी है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां, बिहार में इस मंत्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम चल रही है ।

(ख) राज्य में निर्धारित किये गये 600 ग्रामों में से इस समय राज्य के द्वारा यह योजना 73 ग्रामों में क्रियान्वित की जा रही है ।

(ग) योजना लगभग सभी राज्यों में आरम्भ कर दी गई है । प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 1967 तक लगभग 3,000 ग्रामों में 35,220 मकान तैयार हो चुके हैं ।

(घ) सरकार केवल मकानों के निर्माण तथा सुधार के लिए ऋण देती है तथा निःशुल्क आवास की कोई व्यवस्था नहीं ।

(ङ) मकानों के निर्माण अथवा सुधार के लिये ऋण के अतिरिक्त, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए मकान के स्थानों की निःशुल्क (अथवा केवल नाममात्र के मूल्य) व्यवस्था भी है । इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को 100 प्रतिशत अनुदान देती है । अभी तक, निम्नांकित केवल चार राज्यों ने इस कार्यक्रम को आरम्भ किया है :—

बिहार	लगभग 10 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गयी है ।
गुजरात	68 मकानों के स्थानों का आवंटन किया गया है ।
केरल	60 मकानों के स्थानों का आवंटन किया गया है ।
मैसूर	100 मकानों के स्थानों का आवंटन किया गया है ।

भूमिहीन खेतीहर मजदूर भी जिन्हें मकान के स्थानों का आवंटन हो गया हो, निर्माण के लिये अनुदान के पात्र हैं ।

PRIMARY GOLD

1576. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) whether any cases of holding of primary gold in private possession have been detected after the 31st August, 1967;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken or proposed to be taken in the matter ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) 113 cases involving 52,443 grammes of primary gold in private possession were detected from 1st September, 1967 upto 10th November, 1967.

(c) The cases are at various stages of enquiry/investigation. On completion of these investigations, necessary action will be taken under Gold Control Rules and/or other appropriate Laws.